बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमंडल, छपरा

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 148/09–10

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय ,कटेया गोपलगंज।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – 2004–05

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम ,पदनाम और कार्यकाल –

(i) श्री हीरा लाल, समाहर्त्ता 14.1.04 से 2.4.04

(ii) श्री राहुल सिंह , समाहर्त्ता 2.4.04 से 6.6.04

(iii) श्री कुमार अंशुमाली,समाहर्त्ता 6.6.04 से 9.6.04

(iv) श्री हीरा लाल, समाहर्त्ता 9.6.04 से 15.12.04

(v) श्री प्रभात कुमार, समाहर्त्ता 15.12.04 से 10.2.05

(vi) श्री के0 के0 पाठक,समाहर्त्ता 10.2.05 से 31.3.05

(ड.) अंकेक्षणा अवधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम ,पदनाम तथा कार्यकाल –

(i) श्री संजय कुमार शर्मा,प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दि0 01.4.04 से 31.3.05 तक

(ii) श्री रामाशंकर सिंह, नाजीर दिनांक 01.4.04 से 20.12.04 तक

(iii) श्री रामजी सिंह,नाजीर

दिनांक 20.12.04 से 31.3.05 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी

एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम – श्री अनिल सिंह ,लिपिक

(छ) अंकेक्षकों / वरीय अंकेक्षकों

का नाम – (i) श्री अशोक कुमार जैन ,वरीय अंकेक्षण–2

(ii) श्री अशोक कुमार ओझा, वरीय अंकेक्षण–2

(ज) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 06.11.09

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 15.2.2010

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 25 दिन।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत / अप्रस्तुत की सूची – प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 के आलोक में प्रखण्ड विकास कार्यालय,कटेया (गोपालगंज) के लेखावधि 2004–05 का अंकेक्षण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। प्रखण्ड विकास कार्यालय, कटेया द्वारा निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन जिला कोषागार कार्यालय,गोपालगंज के अभिलेखों से शत–प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना द्वारा पूर्व में की गई अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया, अतएव अनुपालन नही किया जा सका।

(ड.) वित्तीय समीक्षा :–

प्रखण्ड विकास कार्याल ,कटैया को प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2004–05 का प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' दृष्टव्य है। आवंटन एवं व्यय विवरणी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। शीर्ष 2515 (ख),शीर्ष 2515(क), 2505(ग),2230,2235 एवं 2225 के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय विवरणी अंकेक्षण द्वारा आवंटन व्यय पंजी ,विपत्र पंजी, आकस्मिकता पंजी के आधार पर तैयार किया गया। आवंटन एवं व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यय प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत किया गया था। बचत राशि प्रत्यर्पण से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। शीर्ष 2515(ख) 2515 क ,2505(ग),2230,2235 एवं 2225 के अन्तर्गत क्रमशः 82,359.75,8022.00,2302.00 100.00,

2,31,000.00 एवं 1260.00 कुल 3,25,043.75 रूपये व्ययगत (लेप्स) होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। बिहार बजट हस्तक के नियम 113 के अन्तर्गत आवंटित राशि से कम खर्च (बचत की राशि) को ससमय प्रत्यर्पित करना है अतः उक्त नियम का पालन किया गया था अथवा नही की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण शेष संवरण शेष का विवरण निम्नांकित था :–
दिनांक 1.04.04 प्रारंभण शेष – 1,21,65,258.35

दिनांक 31.3.05 का संवरण शेष – 1,23,22,010.60

विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ग'' दृष्टव्य है। विस्तृत विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.04 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष से 2,67,414.78 (1,21,65,258. 35–1,18,97,843.57) तथा दि0 31.3.05 को संवरण शेष से 2,47,414.78 (1,23,22,010. 06–1,20,74,595.28) रूपये उपर्युक्त तिथि को पाई गई थी। भौतिक सत्यापन में कम लेखावधि 2004–05 में संवरण शेष की अन्तर राशि 20,000=00 (2,67,414.78–2,47,414.78) रूपये नाजीर रसीद संख्या 805000 दि0 2.7.04 के द्वारा नजारत की भरपायी हेतु वसूली की गई थी तथा इस राशि को शीर्ष 2071 पेंशन तथा सामान्य रोकड़ पुस्त के आय–व्यय पक्ष में गलत प्रविष्टि करने के कारण हुई। जबकि बिना भुगतान किये व्यय पक्ष में अंकेक्षित है। इस संबंध में आपत्तिनिर्गत की गई थी। शुद्धि पश्चात यह कमी राशि 2,67,414.78 लेखा वधि के पूर्व,लेखावधि एवं अद्यतन चली आ रही थी। अंकेक्षण अवधि एवं पूर्व की अवधि में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा माह या वर्ष में कभी भी सामान्य रोकड़ पुस्त के संबरण शेष भौतिक सत्यापन किया नही पाया गया। बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 105(अ) एवं वित्त विभाग, बिहार पटना के ज्ञापंक टी–2–101/78/1946 वि0 दिनांक 14.2.79 में निर्देश है कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हरेक माह के 15 एवं 30 तारीख को नगद राशि का जाँच करेगे तथा तत् सम्बन्धित प्रमाण –पत्र रोकड़ पुस्त पर अंकित करेगे। रोकड़ पुस्त एवं नगद राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन नही करने के कारण यह वित्तीय अनियमिता धटित हुई। इस ओर उच्च पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

अंकेक्षण अवधि एवं अंकेक्षण अवधि के पूर्व अभिकत्ताओ को योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम का भुगतान सम्बन्धित रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकडत्र पुस्त के माध्यम से किया गया था। विभिन्न योजना/मद की आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट ''घ'' दृष्टव्य है।

अंकेक्षण अवधि में अधिकांश लम्बित योजना वर्ष 2000–01 ,2001–02,02–03 ,03–04 एवं 04–05 की पूर्ण की गई थी। योजनाओं की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 की अधिकांश योजना के अभिकर्त्ता कनीय अभियन्ता थे तथा

उनके द्वारा सम्पादित कार्य की मापी स्वंय की जाती थी। इस ओर उच्च पदाधिकारीयों का ध्यान आकृष्ट किया जाात है।

(ii) भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 503 दि0 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 06.11.09 को अंकेक्षण के समक्ष सामान्य रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन नही कराया जा सका क्योकि बैक पास अद्‌यतन प्रस्तुत नही किया गया।

(iii) स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की संख्या प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर दृष्टव्य है। वितरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनसेवक,अनुसेवी का क्रमशः 4 एवं 2 पद रिक्त थे।

(2) सामान्य रोकड़ पुस्त के विस्तृत विवरण में अंकित संवरण शेष से कम राशि 2,67,414.78 का सम्भावित गबन :–

वर्ष 2004–05 के सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण शेष एवं संवरण शेष के विस्तृत विवरण की जाँच में पाया गया 31.3.04 (1.4.04) एवं 31.3.05 को क्रमशः 2,67,414.78 एवं 2,47,414.78 तथा अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक संवरण शेष से कम राशि 2,47,414.78 पाई गई। प्रतिवेदन की कंडिका –12 में वर्णित राशि 20,000=00 को रोकड़ पुस्त के आय–पक्ष में प्रविष्टि कर सामान्य रोकड़ पुस्त का संवरण शेष शुद्धि के पश्चात 2,67,414.78 रूपये संवरण शेष से अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कम पायी गयी। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की राशि से 2,67,414.78 रूपये अंकेक्षण अवधि के पूर्व से कम पाई जा रही थी।

अतएव सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष से कम राशि 2,67,414.78 गबन की सम्भावना हैं। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान जाचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है, तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाए।

(3) अधिक भुगतित राशि 4,000=00 वसूली योग्य :–

स्वर्ण जयन्ती अन्तर्गत एकादश वित्त आयोग की योजना सं0 8/02–03 कटेया मोड़ से दक्षिण से पूरब ग्राम में जीवन शर्मा के धर तक पथ में मिट्टी –ईटीकरण कार्य हेतु श्री ललन तिवारी ,कनीय अभियन्ता को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था। योजना की प्राक्कलित राशि 43,100=00 थी तथा कार्य पूर्ण हो गया था। योजना के अभिकर्त्ता एवं मापी करने वाले पदाधिकारी श्री ललन तिवारी ,कनीय अभियन्ता एक ही व्यक्ति थे। एकरनामा में दी गई शर्त के अनुसार अभिकर्त्ता को अभिश्रव एवं मस्टर रौल प्रस्तुत करने के पश्चात अंतिम भुगतान किया जायेगा। योजना पंजी योजना अभिलेख ,मापी पुस्त

,अभिश्रव ,मस्टर रौल एवं रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि अभिश्रव एवं मस्टर रौल 38,642=00 रू0 का पारित किया गया था। अतः 4,000=00 (42,642–38,642) रू0 का अभिश्रव अंकेक्षण में कम प्रस्तुत किया गया।

विवरण निम्नांकित है :–

भुगतान का विवरण अभिश्रव अन्तर राशि

तिथि	राशि	नाम	राशि	
21.6.04	7,500=00	ईट	26,578=00	
13.8.04	32,500=00	मिट्टी	5,525=00	
2.9.04	2,163=00	बालू	940=00	
बिक्री कर	479=00	मस्टर रौल	5,525=00	
	42,642=00		**38,642=00**	**4,000=00**

अतएव पारित अभिश्रव एवं मस्टर रौल से अधिक भुगतित राशि 4,000=00 (42,642. 00–38,642.00) सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूली कर , संबंधित कोष में जमाकर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(4) मकान किराया मद में कटौती नही की गई राशि 23=00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2505(ग) के वर्ष 2004–05 के वेतन भुगतान की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 28/04–05 के द्वारा माह मई 04 का वेतन मो0 खुर्शीद ,सहायक को 8,520=00 रूपये दि0 10.10.04 को भुगतान किया गया था। मो0 खुर्शीद ,सहायक को मकान आंवटित था तथा उनके द्वारा वेतन से मकान किराया मद में प्रतिमाह 23=00 की कटौती की जाती थी, परन्तु मई 04 के वेतन से मकान किराया मद में 23=00 की कटौती नही की गई थी। उल्लेखनीय है कि मो0 खुर्शीद द्वारा लेखावधि में माह मई 04 को छोड़कर शेष 11 माह में मकान किराया मद में प्रतिमाह 23=00 की दर से कटौतियाँ पाई गई।

अतएव माह मई 04 के वेतन से मकान किराया मद में 23=00 की कटौती नही किये जाने के कारण सम्बन्धित व्यक्ति से रू0 23=00 वसूली कर कोषागार में जमाकर ,फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाए।

(5) अभिकत्ताओं के विपत्र से विनिर्दिष्ट दरों से बिक्री कर की राशि नही था कम कटौती किये जाने के कारण राजस्व की क्षति राशि 95839=00

बिहार वित्त अधिनियम की धारा 25(ख) वाणिज्य कर आयुक्त एवं सचिव,बिहार, पटना के पत्रांक 5014 दिनांक 18.10.02 पत्रांक 5078 दि0 23.10.02,पत्रांक 2211 दि0 9.5. 03, पत्रांक 706/सी0 सी0 टी0 दि0 4.8.03 के आलोक में अभिकत्ताओं के विपत्र से विनिर्दिृष्ट दरो से बिक्री कर की राशि की कटौती कर विपत्र का भुगतान करने का निर्देश

दिया गया है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता/अभिकर्त्ता से सम्बन्धित विपत्र पर इस आशय का प्रमाण –पत्र देना आवश्यक है कि बिहार अधिनियम 5,1981 की धारा 25(ख) के अधीन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बीजक में अंकित कर योग्य राशि से अग्रिम बिक्री कर की कटौती कर ली गई है। साथ ही वर्णित पत्रांक में यह भी निर्देश दिया गया है कि स्त्रोत पर बिक्री कर की कटौती नही करने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सरकार को हुई राजस्व की क्षति के दो गुणा के बराबर तक राशि वसूली की जा सकती है।

वर्ष 2004–05 में पूर्ण योजनाओं की जाँच योजना पंजी, योजना अभिलेख, मापी पुस्त एवं रोकड़ पुस्त से करने पर पाया गया कि कुछ योजनाओ में व्यवहृत सामग्रियों पर विनिर्दिष्ट दरों से बिक्री कर की कटौती, अभिकत्ताओं के अंतिम भुगतान के समय नही या कम ली गई थी। वर्णित अनुदेशों का पालन नही किये जाने के कारण राजस्व की क्षति हुई। विवरण परिशिष्अ ''ज'' पर दृष्टव्य है।

इस सम्बन्ध में आपर्त्तिनिर्गत करने पर आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि जाँचोपरान्त सम्बन्धित अभिकत्ताओं से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतएव निमार्ण कार्यो में व्यवहृत सामग्रियों के अभिश्रवों के मूल्य पर विनिर्दृष्ट दरो पर बिक्री कर की कटौती नही कम किये जाने के कारण राजस्व की क्षति राशि 95839=00 की प्रतिपूर्ति कराने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

<u>(6) निमार्ण कार्यो में व्यवहृत लघु खनिजों की मात्रा पर अनुमान्य दर से स्वामित्व की राशि कम या नही कटौती की कारण राजस्व की क्षति राशि 39,267=00</u>

सचिव ,खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 848/एम. ,दिनांक 8.4.03 के निर्देशानुसार निमार्ण कार्यो में व्यवहृत लघु खनिजों की मात्रा पर अनुमान्य दरों से स्वामित्व (रायल्टी) की राशि अभिकर्त्ताओं से अन्तिम भुगतान के समय कटौती कर लेना है, परन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का पालन नही किया गया।

वर्ष 2004–05 में पूर्ण योजनाओ की जाँच योजना पंजी, योजना अभिलेख,मापी पुस्त एवं रोकड़ पुस्त से करने पर पाया गया कि वर्णित योजनाओं में व्यवहृत लधु खनिजों की मात्रा पर अभिकर्त्ताओं से अंतिम भुगतान के समय अनुमान्य दर से स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती नही/कम की गई थी। जिससे राजस्व की क्षति हुई। विवरण परिशिष्ट ''झ'' पर दृष्टव्य है।

इस सम्बन्ध में आपत्तिनिर्गत करने पर आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि जाँचोपरान्त सम्बन्धित अभिकर्त्ताओं से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतएव रायल्टी मद में निमार्ण कार्यो में व्यवहृत सामग्रियों की मात्रा पर अनुमान्य दर से स्वामित्व की कटौती नही किये जाने के कारण राजस्व की क्षति राशि 39,267=00 की प्रतिपूर्त्ति कराने हेतु उच्चअधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(7) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी के अभाव में व्ययगत राशि 1,10,000=00 आपत्तिअन्तर्गत :–

न्यूनतम बुनियादि कार्यक्रम एवं सामान्य इन्दिरा आवास के योजनाओ का रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव पंजी की जाँच में पाया गया कि वर्णित अभिश्रव द्वारा व्यय रोकड़ पुस्त में दिखाया गया था परिशिष्ट ''ट'' दृष्टव्य है। परन्तु योजना अभिलेख एवं योजना पंजी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययगत राशि 1,10,000=00 की औचित्यता की जाँच नही हो सकी।

अतएव व्ययगत राशि 1,10,000=00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती हैं, इस ओर विभाग का ध्यान जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाए।

(8) विभागीय गाड़ी का लॉंग–बुक अप्रस्तुत रहने के कारण व्ययगत राशि 9,734=25 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515(ख) के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के डीजल एवं रख रखाब के अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि विभागीय गाड़ी बी0 आर0 – 28 एल0 0096 पर डीजल आदि के क्रय पर भुगतान किया गया था। डीजल आदि की प्रविष्टि हेतु गाड़ी का लॉग–बुक अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे डीजल के खपत की औचित्यता की जाँच नही हो सकी।

अतएव लॉंग–बुक के अभाव में डीजल आदि पर व्यय की गई राशि 9,734=25 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है, इस ओर जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को सूचित किया जाए।

विवरण परिशिष्ट ''ठ'' पर दृष्टव्य है।

(9) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक सामग्री की मात्रा का अभिश्रव प्रस्तुत कर अधिक भुगतित राशि 27673=00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 2004–05 में पूर्ण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं की जाँच योजना पंजी, योजना अभिलेख अभिश्रव मापी पुस्त एवं रोकड़ पुस्त से करने पर पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक सामग्री (ईट) की मात्रा का अभिश्रव अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत कर अधिक

भुगतान प्राप्त किया गया था। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन की गुणवत्ता के अनुसार कार्य कराने की शर्त पर दी गई थी। परिशिष्ट ''छ'' में उल्लेखित योजनाओं की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक सामग्री की मात्रा का अभिश्रव प्रस्तुत कर अभिकर्त्ता को अधिक राशि 27,673=00 का भुगतान पाया गया। यह उल्लेखनीय है कि योजनाओं को पूर्ण कराने में स्वीकृत प्राक्कलन में अंकित सामग्री की मात्रा से अधिक सामग्री का अभिश्रव प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया।

इस आशय की आपत्ति निर्गत की गयी थी एवं आपत्ति के उत्तर में लिखा गया कि जाँचोपरान्त संबन्धित अभिकर्त्ताओ से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः स्पष्ट है कि दूसरे सामग्री/मजदूरी को कम कर इंटीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। जिसके इंटिकरण की गुणवत्ता प्रभावित हुआ। अतः सक्षम पदाधिकारी जाँचकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग से अवगत किया जाए तब तक रू0 27,673=00 को व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

भाग – 2

(10) वर्ष के अन्त में संवरण शेष के अन्तर्गत अवशेष राशि 20,89,306=26 को कोषागार में जमा योग्य :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 107 बी ,वित्त विभाग ,बिहार पटना के ज्ञापांक 1048 दि0 14.2.79,6542 दि0 12.9. 88,207 दिनांक 12.1.2000 के आलोक में तत्काल खर्च नही होनेवाली राशि को बैक खाता में नही रखे जाने का निदेश दिया गया है। वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–05/98–2561/वि0 (2) दि0 17.4.98 के निदेशानुसार किसी भी हालत में निकासी की गई राशि को बैंक खाता में नही रखा जाए कोषागार से राशि की निकासी एवं राजस्व की प्राप्ति की राशि को बैक खाता या नगद बहुत दिनों तक रखना अनुचित है। ग्रामीण विकास विभाग, इन्दिरा आवास एवं अन्य चालू योजनाओं को छोड़कर अव्यवहृत राशि उक्त प्रावधनों के अन्तर्गत कोषागार में शीध्र जमा किया जाए। निम्नांकित संवरण शेष के अन्तर्गत अवशेष राशि विगत कई वर्षो से रखा जा रहा था।

क्र0 सं0	शीर्ष /मद	राशि	अभ्युक्ति
1	शीर्ष 2515(ख)	54,282=30	
2	2505 (ग)	4,71,847=23	
3	2071 पेंशन	42,120=00	
4	2225 छायवृति	5,34,770=00	

5	2015 निर्वाचन	1,42,068=11	
6	स0 ग्रा0 वि0 अभि0 + ट्राईसम	4,30,876=69	
7	मातृत्व अनुदान	39,450=00	
8	जिला योजना	12,282=28	
9	श्रम रोजगार	4,000=00	
10	गृह विहीन	1,91,000=00	
11	कृषि	281=00	
12	राजस्व	64,665=85	
13	बयोगैस + उन्नत चुल्हा	9,150=00	
14	पंचायत समिति	890=30	
15	सहाय्य मद	91,622=50	
		20,89,306=26	

अतएव विगत कई वर्षो से संवरण शेष की राशि 20,89,306=26 को शीध्र कोषागार में जमा करा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाए।

(11) रद्ध चेक को आय नही दिखाये जाने के कारण राशि 500.00 को रोकड़ पुस्त के आय– पक्ष में प्रविष्टि करने का सुझाव :–

मातृत्व अनुदान के अन्तर्गत योजना संख्या 58/03–04 ,उषा देवी, बेलही खास को चेक संख्या 0187226 दि0 12.3.04 को रोकड़ पुस्त में 500=00 रूपये का व्यय दि0 12.3.04 को दिखाया गया था। प्राप्तकर्त्ता के बाहर रहने के कारण चेक रद्द कर चेक पंजी में आय के रूप में 500=00 रूपये दि0 22.6.04 को प्राप्ति दिखाया गया था, परन्तु उक्त रद्द चेक की राशि 500=00 व्यय नही होने के फलस्वरूप रोकड़ पुस्त में दिनांक 22.6.04 या लेखावधि में आय –पक्ष में प्रविष्टी नही पायी गई।

अतः रूपया 500=00 को सम्बन्धित सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविष्टि कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाये।

(12) राशि 20,000=00 को रोकड़ पुस्त के आय– पक्ष में प्रविष्टि कर रोकड़ पुस्त का संवरण शेष शुद्ध करने का सुझाव :–

शीर्ष्र 2071(पेंशन) के अन्तर्गत एन0 आर0 संख्या 805000 दि0 2.7.04 के द्वारा मु0 गुलवदना पति स्व0 राजेश्वरी प्रसाद से नजारत की भरपायी हेतु वसूली की गई राशि 20,000=00 को रोकड़ पुस्त के आय–पक्ष में दिनांक 2.7.04 को प्रविष्टि पायी गयी। उक्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक कटेया के खाता सं0 15130 के चेक पंजी के पृष्ट सं0 4 पर जमा पायी गई। रोकड़ पुस्त में उक्त राशि 20,000=00 का व्यय दि0 2.7.04 को दिखा दिया गया था, परन्तु रू0 20,000=00 का व्यय /भुगतान नही पाया गया।

उल्लेखनीय है कि सामान्य रोकड़ पुस्त के विस्तृत विवरण दिनांक 31.3.04 के संवरण शेष से राशि 2,67,414.78 (1,21,65,258.35–1,18,97,843.57) तथा दि0 31.3.05 के संवरण शेष से राशि 2,47,414.78(1,23,22,010.06–1,20,74,595.28) कम पाई गई तथा अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक संवरण शेष से कम राशि 2,47,414.78 पाई जा रही है।

अतएव प्राप्त राशि 20,000=00 को रोकड़ पुस्त के आय–व्यय पक्ष में दिखाये जाने के कारण व्यय दिखायी गई राशि – 20,000=00 को रोकड़ पुस्त के आय– पक्ष में प्रविष्टि कर रोकड़ पुस्त का संवरण शेष शुद्ध किया जाए। सामान्य रोकड– पुस्त के 31.3.04 एवं अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक (शुद्धिपश्चात) संवरण शेष से कम पाई गई राशि 2,67,414.78 की ओर विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाये।

(13) लेखाओं के संधारण में त्रुटियाँ एवं सुझाव :–

(क) बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 एवं 105 (अ) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अन्त में सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जायेगा, तत् सम्बन्धित प्रमाण–पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित किया जायेगा,परन्तु कार्यालय प्रधान द्वारा नियमों का अवहेलना कर कभी भी रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन नही किया गया एवं प्रमाण पत्र अंकित नही पाया गया । अतएव उक्त नियमों का पालन भविष्य में अवश्य किया जाये।

(ख) बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 एवं वित्त विभाग,बिहार पटना के ज्ञापांक टी0 2–101/78–1974 दि0 14.2.79 में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हरेक माह के 15 एवं 30 तारीख को नगद राशि की जाँच करेगे तथा रोकड़ पुस्त में यह प्रमाण– पत्र अंकित करेगे, परन्तु उक्त नियमों का पालन नही पाया गया। भविष्य में उक्त नियमों एवं अनुदेश का पालन किया जाये।

(ग) बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 429 एवं 430 के अन्तर्गत अग्रिम राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से करना है, परन्तु वर्षो से पूर्व में आ रही अग्रिम का समायोजन नही किया गया, न ही समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। इस ओर आवश्यक कार्रवाई करते हुए भविष्य में उक्त नियमों का पालन किया जाए।

(घ) बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 299 के अनुसार संवरण शेष की बढ़ी राशि को अभिश्रव के रूप में रखा जाना अनियमित है तथा अभिश्रव के रूप में रखी गई राशि विचलन है, अतएव अभिश्रव के रूप में रखी गई राशि का आवंटन प्राप्त कर समायोजन किया जाए।

(ड.) वित्त विभाग के ज्ञापांक ए. आर. 06/19/5329 दि0 1.6.53 के निदेशानुसार कभी भी रोकड़ पुस्त में नियंत्रण पदाधिकारी एवं निरीक्षण पदाधिकारी का निरीक्षण अंकित नही पाया गया। भविष्य में निरीक्षण प्रतिवेदन का संधारण किया जाए।

(च) मुख्य सचिव,बिहार,पटना के ज्ञापांक 4541 दि0 23.9.71 के अनुसार प्रत्येक निरीक्षण पदाधिकारी को अपनी निरीक्षण टिप्पणी में अंकेक्षण–प्रतिवेदन का अनुपालन की अद्यतन स्थिति को शामिल करना है, परन्तु अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत नही किया गया। भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाए।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

परिशिष्ट ''क'' कंडिका 1'ट' से सम्बन्धित

(क) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2004–05

2. सहायक रोकड़ पुस्त (29 शीर्षो /मद का) वर्ष 2004–05

(i) 2515 (ख) प्रखण्ड स्थापना

(ii) 2515 (क) पंचायत स्थापना

(iii) 2505 (ग) जे0 आर0 वाई

(iv) 2071 पेंशन

(v) 2225 छात्रवृति

(vi) 2235 राज्य सामजिक सुरक्षा पेंशन

(vii) 2230 राष्ट्रीय सा0 सु0 पेंशन

(viii) 2015 निर्वाचन

(ix) 2202 शिक्षा

(x) स0 ग्रा0 रो0 योजना

(xi) दशम एवं एकादश वित्त आयोग

(xii) न्यू0 बुनियादी ई0 आवास

(xiii) सामान्य इन्दिरा आवास

(xiv) विधायक/सांसद योजना

(xv) सा0 ग्रा0 नि0 कार्यक्रम + हाईसम

(xvi) मातृत्व अनुदान

(xvii) र्स्वण जयन्ती योजना

(xviii) बालिका समृद्धि योजना

(xix) जिला योजना

(xx) जनगणना

(xxi) श्रम रोजगार

(xxii) स्थायी अग्रिम

(xxiii) गृह विहिन

(xxiv) 2401 कृषि

(xxv) राजस्व

(xxvi) बायोगैस + उन्नत चुल्हा

(xxvii) पंचायत समिति

(xxviii) सहाय्य मद

(xxix) व्याज

3. विपत्र पंजी – वर्ष 2004–05

4. नाजीर रसीद

5. चेक प्राप्ति एवं निर्गत पंजी

6. वेतन भुगतान पंजी (सभी शीर्षो का)

7. यात्रा भुगतान पंजी

8. आवंटन एवं व्यय पंजी

9. आकस्मिकता व्यय पंजी

10. अभिश्रव की रक्षी संचिका

11. अग्रिम पंजी एवं अग्रिम रोकड़ पुस्त

12. अभिश्रव रोकड़ पुस्त

13. योजना पंजी, योजना अभिलेख एंव मापी पुस्त

14. बैंक पास बुक/ बैक विवरणी

15. रेमिटान्स रजिस्टर

(ख) अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सेवा पुस्त
2. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति
3. गाड़ी का लौग– बुक एवं सेवा इतिहास BR-28L-0096
4. पल्स पोलिया का सहायक रोकड़ पुस्त
5. अस्थायी सामग्रियों की भंडार पंजी
6. सामान्य इन्दिरा आवास का योजना अभिलेख (आंशिक) योजना पंजी
7. न्यूनतम बुनियादि इन्दिरा आवास का योजना अभिलेख (आंशिक) एवं योजना पंजी
8. 2015– निर्वाचन का अभिश्रव
9. वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित अभिश्रव एंव लेजर
10. छात्रवृति भुगतान से सम्बन्धित अभिश्रव
11. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन
12. उच्च पदाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पुस्त